छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in

क्रमांक– 05/रेरा/2018/ रायपुर, दिनांक 25/05/2018

//प्रेस विज्ञप्ति//

रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय–सीमा में नहीं होगी वृद्धि

रेरा के प्रावधानों के अनुसार रियल एस्टेट के सभी चालू और नवीन प्रोजेक्ट्स का रेरा अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ रेरा ने सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 31 मई, 2018 की समय–सीमा तय की है। छत्तीसगढ़ रेरा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के पूर्व रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। छत्तीसगढ़ रेरा ने भी अपनी स्थापना के तुरंत बाद फरवरी, 2018 से रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही प्रारंभ कर इस हेतु दिनांक 31 मई, 2018 तक की समयावधि प्रमोटर्स को प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ रेरा ने यह स्पष्ट किया है, चूँकि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु प्रमोटर्स को पर्याप्त समयावधि प्रदान की जा चुकी है, अतः अब इस निर्धारित समय–सीमा में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जावेगी। निर्धारित समयावधि तक रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर प्राधिकरण द्वारा संबंधित प्रमोटर्स पर अधिनियम की धारा 59 के तहत् शास्ति आरोपित की जावेगी। छत्तीसगढ़ शासन ने रेरा के पूर्व नियमों में चालू प्रोजेक्ट संबंधी दी गई परिभाषा को विलोपित कर नवम्बर, 2017 में संशोधन कर दिया गया है अर्थात् अब की स्थिति में रेरा में वर्णित प्रावधान के अनुसार ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स जिन्हें 01 मई, 2017 के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुये है, उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रेरा ने परिपत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बंधक मुक्ति संबंधी दस्तावेज को पूर्णता प्रमाण–पत्र नहीं माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ रेरा ने विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से बिल्डर्स के मध्य व्याप्त तमाम शंकाओं व जिज्ञासाओं का निराकरण करते हुए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की है। रेरा द्वारा जारी सभी परिपत्र छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। प्रमोटर्स के सुविधा के दृष्टिकोण से रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न जानकारियों के प्रारूप भी निर्धारित कर रेरा की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन को सुगम बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ रेरा ने व्यवस्था की है कि यदि प्रमोटर्स को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हेतु पृथक बैंक खाते खोलने में समय लग रहा हो तो वे Annexure-21 में वर्णित प्रारूप में अंडरटेकिंग देकर भी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी तरह निवेशकों व प्लॉट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मकान निर्माण करने वाले प्रमोटर्स के संबंध में भी विस्तृत दिशा–निर्देश वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

25/05/18

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर.